



2026:AHC:128481

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या :19809 वर्ष 2026

श्रीमती संगीता

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: आदिल खान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 21 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 103(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता पुलिस थाना- मंडी धनौरा, जिला- अमरोहा में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक एक महिला है और उसे उसकी सास द्वारा संपत्ति के विवाद के कारण नामित किया गया है। आवेदक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई गई थी ताकि वह मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त न कर सके। आवेदक और सह-अभियुक्त के बीच किसी भी आपराधिक षड्यंत्र को रचे जाने का कोई आरोप नहीं है। आवेदक को केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त बनाया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण नहीं है और आवेदक के विरुद्ध कोई भी ग्राह्य साक्ष्य नहीं है। मृतक की भाभी ने विवेचना के दौरान अपने बयान में कहा था कि आवेदक और सह-अभियुक्त के बीच अवैध संबंध थे, परंतु उनके द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि मृतक की हत्या करने के लिए आवेदक और सह-अभियुक्त के बीच कोई आपराधिक षड्यंत्र रचा गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 15.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण में सहयोग करेगी।

4. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने की हकदार नहीं है।

5. मैंने पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भोगी गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत की स्वीकृति के लिए एक उचित मामला बनाया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- **श्रीमती संगीता** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ, उतनी ही धनराशि के एक व्यक्तिगत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बंधपत्र और दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभुओं का सत्यापन किया जाए:

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगी कि जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगी। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद की शुरुआत, (2) आरोप विरचन और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करे।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

दिनांक: 22 जून, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।